

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 275 /PROJ-41011/631/2025-TECHNICAL SECTION WRD, अटल नगर, दिनांक 10/1/2026
प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- धमतरी जिले के विकासखण्ड-नगरी के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत धमतरी जिले के अंतर्गत सोंदूर जलाशय के डेम टॉप लाइटिंग पोल बदलने, D/S Lighting Pole Shifting कार्य पुराने हाईमास्ट मरम्मत एवं नये हाईमास्ट प्रतिस्थापना कार्य एवं गैलरी डिवाटरिंग पम्प मरम्मत, लाइट व्यवस्था, कन्ट्रोल रूम पानी प्रदाय एव SRP कालोनी के शासकीय आवासों का विद्युतीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-285/बो.प्र./प्रशा.स्वी./MRP/2025/10628, दिनांक 19.11.2025.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-नगरी के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत धमतरी जिले के अंतर्गत सोंदूर जलाशय के डेम टॉप लाइटिंग पोल बदलने, D/S Lighting Pole Shifting कार्य पुराने हाईमास्ट मरम्मत एवं नये हाईमास्ट प्रतिस्थापना कार्य एवं गैलरी डिवाटरिंग पम्प मरम्मत, लाइट व्यवस्था, कन्ट्रोल रूम पानी प्रदाय एव SRP कालोनी के शासकीय आवासों का विद्युतीकरण कार्य हेतु राशि ₹ 452.34 लाख (रुपए चार करोड़ बावन लाख चौतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. सोंदूर जलाशय के डेम टॉप लाइटिंग पोल बदलने, D/S Lighting Pole Shifting कार्य पुराने हाईमास्ट मरम्मत एवं नये हाईमास्ट प्रतिस्थापना कार्य एवं गैलरी डिवाटरिंग पम्प मरम्मत, लाइट व्यवस्था, कन्ट्रोल रूम पानी प्रदाय एव SRP कालोनी के शासकीय आवासों का विद्युतीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
2. योजना पर व्यय बजट शीर्ष माँग संख्या-23-जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [02]-महानदी परियोजना समूह, (800)-अन्य व्यय, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य), (2898)-बाँध तथा संलग्न कार्य, #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 15/2025 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 03.12.2025 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
4. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
6. कार्य की ड्रॉइंग व डिजाइन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
8. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
9. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।

..2..

10. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
11. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
12. निर्माण कार्य प्रावकलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
13. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (Liability) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न किये जाये।
14. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
15. अनुबंध अनुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि (Time Extention) न की जाये। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
16. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
17. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
18. कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्रावकलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
VIDYA BHARTI

Date: 15-01-2026

14:30:50

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

..3..

पृ.क्र. 276 /PROJ-41011/631/2025-TECHNICAL SECTION WRD, अटल नगर, दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 13 अधीक्षण अभियंता, विद्युत / यांत्रिकी मण्डल रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, विद्युत / यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग रुद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 15-01-2026
14:31:20

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

